

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.४(१६)राज/वाद/१९

जयपुर, दिनांक ९/७/२०१९

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण राम, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर 587/07) को विशिष्ट न्यायालय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण), श्रीगंगानगर में राज्य पक्ष की ओर से प्रकरणों की पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा, अ.नि.प्र.), श्रीगंगानगर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री बनवारी लाल कड़ेला, विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा अ.नि.प्र.), श्रीगंगानगर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

६०
(चंद्रल मिश्र)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर।
- 9 विशिष्ट न्यायाधीश (अजा/अजजा अ.नि.प्र.), श्रीगंगानगर
- 10 जिला कलकटर, श्रीगंगानगर।
- 11 कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।

(Chandral Mishra)
९/७
(चंद्रल मिश्र)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(16)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में तथा स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 30 (सी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अजय बलाना, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० 2934 / 02) को विशिष्ट न्यायालय (एन.डी.पी.एस. एकट मामलात), श्रीगंगानगर में राज्य पक्ष की ओर से आपराधिक प्रकरणों की पैरवी व अभियोजन पक्ष का संचालन करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एकट मामलात), श्रीगंगानगर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री केवल कुमार अग्रवाल, विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एकट मामलात), श्रीगंगानगर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

६०

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाइ) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर / जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता भय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर।
- 9 विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एकट मामलात), श्रीगंगानगर
- 10 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
- 11 कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।


(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)
क्रमांक: प.४(१६)राज / वाद / १९

जयपुर, दिनांक ९/८/२०१९

आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अनुसार विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, श्रीगंगानगर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री गुरचरण सिंह, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर / ५६८ / ९६) को विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, श्रीगंगानगर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

६०
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर / जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता भय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर।
- 9 विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, श्रीगंगानगर।
- 10 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
- 11 कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि (वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।

१८/८/२०१९
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प08(16) राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक ९/८/२०१७

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्यूअल 1999 के नियम 15, 16 एवं 17 के अनुसरण में श्री बलवन्त राम, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर / 145 / 04) को विशिष्ट न्यायालय (महिला उत्पीड़न) श्रीगंगानगर में राज्यपक्ष की ओर से पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (महिला उत्पीड़न) श्रीगंगानगर के पद पर मासिक रिटेनरशिप राशि रूपये 16,800/-प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्रीमती सुनीता कपूर, विशिष्ट लोक अभियोजक (महिला उत्पीड़न), श्रीगंगानगर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

६०
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मध्य अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैनन्याधीश, श्रीगंगानगर।
- 9 विशिष्ट न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न) श्रीगंगानगर।
- 10 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
- 11 कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।

Chanchal Mishra
९/८
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.४(१६)राज/वाद/१९

जयपुर, दिनांक ९/८/२०१९

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के सम्मुख पद व स्थान तथा मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया जाता है :—

| क्रमांक | नाम अभिभाषक | एनरोलमेन्ट नं | पद नाम |
|---------|-----------------------|---------------|--|
| 1 | श्री राजीव कौशिक | आर/189/92 | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01, श्रीगंगानगर |
| 2 | सुप्रीमा चितलागिया | आर/1856/10 | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, श्रीगंगानगर |
| 3 | श्री शिवशंकर जांगिड़ | आर/66/2000 | अपर लोक अभियोजक, (सिविल), श्रीगंगानगर |
| 4 | श्री सुभाष चन्द्र | आर/2552/06 | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, घडसाना, श्रीगंगानगर |
| 5 | श्री जसविन्द्र सिंह | आर/92/98 | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर |
| 6 | श्री श्याम सुन्दर चुध | आर/96/94 | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर |
| 7 | श्री सुरेश कुमार गोयल | आर/525/80 | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, करणपुर, श्रीगंगानगर |

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

| क्रमांक | नाम अभिभाषक | पद नाम |
|---------|------------------------------------|--|
| 1 | श्री कृष्ण कुक्कड | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01, श्रीगंगानगर |
| 2 | श्री दिनेश नागपाल | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, श्रीगंगानगर |
| 3 | श्री संजय पोटलिया | अपर लोक अभियोजक, (सिविल), श्रीगंगानगर |
| 4 | श्री सुमेश कुमार | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, घडसाना, श्रीगंगानगर |
| 5 | श्री चन्द्रवीर सिंह | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर |
| 6 | श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मुखराम | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर |
| 7 | श्री सुरेन्द्र पाल सिंह | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, करणपुर, श्रीगंगानगर |

आज्ञा से

(चंचल मिश्र)
शासन सचिव, विधि

निरन्तर—

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाइ) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशेष सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर।
- 9 अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सं01 व 2, करणपुर /अनूपगढ़ /सूरतगढ़/घड़साना, जिला श्रीगंगानगर।
- 10 जिला कलकटर, श्रीगंगानगर।
- 11 कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्र)
शासन सचिव, विधि